जिला सैक्टर योजना 2010–11(आयोजनागत पक्ष)
संख्या– 430 /XV-1/11/1(3)/2011

प्रेषक,

विनोद फोनिया,,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून/पौड़ी/टिहरी/चमोली/उत्तरकाशी/हरिद्वार/उधमसिंह नगर/
रूद्रप्रयाग/नैनीताल/अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/चम्पावत/
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 19 अप्रैल, 2011**

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत जिला सैक्टर योजनाओं में धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या–10/नि०–5/एक(19)/आय–व्यय/11–12 दिनांक 01.04.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में पशुपालन विभाग हेतु अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत जिला सैक्टर योजनाओं के लिए प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष विवरण के अुनसार योजनावार, जनपदवार, आहरण वितरण अधिकारीवार, मदवार कुल धनराशि **₹ 444.76 लाख** की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रादिष्ठ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) संलग्न विवरणानुसार निर्गत स्वीकृति को तत्काल मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्ट करना सुनिश्चित करें तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृति परिव्यय के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(4) उक्त धनराशि का व्यय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

2. इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की मानक मद अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत 102–पशु और भैस विकास की योजना कोड–9102–वर्तमान कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना व सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत 20–सहायक अनुदान मानक मद में अवमुक्त **₹ 122 हजार** का अग्रिम आहरण कर यू०एल०डी०वी० को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. यह आदेश प्रमुख सचिव वित्त के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक–31 मार्च, 2011 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्न–जनपदवार फांट

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या– 430 (1)/XV-1/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एंव आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, पशुपालन को उनके पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2011 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
5. अपर निदेशक, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4।
8. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय देहरादून को वैबसाईट में डालने हेतु।
9. समस्त, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव